

कार्यालय मुरुल्य अभियन्ता
 परियोजना नियोजन, अनुश्रवण एवं प्रबन्धन इकाई
 उप्र. राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि.
 सातवां तल, शक्ति भवन विस्तार
14-अशोक मार्ग, लखनऊ - 226 001

पत्रांक: 2584 /पीपीएमएम/मुख्यालय/सीटीसी

दिनांक: जून 18, 2012

कार्यालय-ज्ञाप

विषय : कारपोरेट निविदा समिति के अनुमोदन हेतु प्रेषित प्रस्तावों के सम्बन्ध में।

कारपोरेट निविदा समिति को परियोजनाओं द्वारा प्रेषित की जा रही निविदा संस्तुतियों के परीक्षण से यह परिलक्षित हुआ है कि निविदा संस्तुति में सभी आवश्यक तथ्य समाहित नहीं किये जाते हैं तथा अति-महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख संलग्नक को संदर्भित कर किया जा रहा है, जो कि उचित नहीं है। निविदा संस्तुति अपने में Self-contained एवं स्पष्ट होना चाहिये तथा संलग्नक केवल Supporting document के रूप में प्रस्तुत किये जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में पूर्व में भी निर्देश पत्रांक: 286/उनिं०लि०/मु०म०प्र०(वित्त) दिनांक: 15.7.2010 द्वारा अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के हस्ताक्षर से निर्गत किये गये थे, किन्तु परियोजनाओं द्वारा इसका नैषिक अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है। अतः पुनः स्पष्ट किया जाता है कि कारपोरेट निविदा समिति के विचारार्थ परियोजनाओं द्वारा प्रेषित कार्य/क्रय सम्बन्धी निविदाओं को निविदा संस्तुति प्रस्ताव में विशेष रूप से निम्न तथ्यों का समावेश अवश्य किया जाये तथा निविदा संस्तुति शीर्षवार विभाजित कर बनायी जाये :-

1. प्रस्ताव।
2. प्रस्तावित क्रय/कार्य की आवश्यकता का विवरण।
3. कार्य का स्कोप संक्षिप्त में/क्रय की जाने वाली सामग्री का संक्षिप्त विवरण। यदि आउटसोर्सिंग का प्रकरण है, तो स्पष्ट बताया जाये कि यह कार्य विभाग से क्यों नहीं कराया जा रहा है।
4. प्राककलन की स्थिति एवं प्राककलित लागत प्राककलन की दर सहित।
5. मात्रा का औचित्य विगत वर्षों के उपयोग का विश्लेषण करते हुये या अगर अन्य कोई प्रकार है, तो उसका स्पष्ट उल्लेख।
6. निविदा आमंत्रण :

(क) खुली निविदा :

- (i) निविदा विशिष्टीकरण के अनुमोदन का उल्लेख।
- (ii) वेबसाइट पर निविदा नोटिस एवं निविदा विशिष्टीकरण अपलोड करने का विवरण (अपलोड का डाउनलोड की प्रति संलग्न करते हुये)।
- (iii) निविदा सूचना समाचार पत्रों में प्रस्तुत किये जाने का विवरण तथा निविदा के भाग-1 एवं भाग-2 आदि के खुलने की तिथियाँ तथा किये गये समय विस्तार आदि का विवरण (प्रकाशित निविदा सूचना की प्रति संलग्न करते हुये)।
- (iv) निविदा में ग्राप्त निविदादाताओं का उल्लेख।
- (v) सभी निविदादाताओं की क्वालीफाइंग रिक्वायरमेंट(क्यूओआर) के सापेक्ष विश्लेषण।

(ख) सीमित निविदा :

- (i) सीमित निविदादाताओं के चयन का आधार। यदि सीमित एकल प्रस्ताव है, तो इसका स्पष्ट तार्किक औचित्य कि एकल पर क्यों कराया जा रहा है।
- (ii) सीमित निविदादाताओं की निविदा सूचना किस प्रकार प्रस्तुत की गई, का विवरण।
- (iii) सीमित निविदाओं में ग्राप्त निविदाओं का उल्लेख।
- (iv) सभी निविदादाताओं की Qualifying Requirement (Q.R.) के सापेक्ष विश्लेषण।

7. प्रशासनिक अनुमोदन का विवरण।
8. सभी निविदादाताओं की दरों का उल्लेख तथा की गई लोडिंग आदि का उल्लेख करते हुये न्यूनतम निविदादाता का निर्धारण।
9. निविदा की वैधता।
10. कार्य/क्रय किस स्कीम से आवरित है तथा वित्त पोषण।
11. अर्नेस्ट मनी/बिड सिक्योरिटी।
12. न्यूनतम निविदादाताओं की दरें एवं नियम व शर्तों का उल्लेख। यदि कोई विचलन है, तो इसे स्पष्ट रूप से इंगित किया जाये। अन्यथा की रिक्ति में यह मान लिया जायेगा कि कोई विचलन नहीं है। सभी करों आदि के सम्बन्ध में स्पष्ट विवरण। गारण्टी/वारंटी का भी विवरण। परफारमेंस गारण्टी तथा इंस्पेक्शन आदि का स्पष्ट उल्लेख।

क्रमांक: पृष्ठ सं-2 पर

13. दरों का परियोजना के पूर्व आदेशों के सापेक्ष तथा अन्य परियोजनाओं की दरों के सापेक्ष भी परीक्षण किया जाये। विशेष रूप से प्राक्कलित दर के सापेक्ष क्या स्थिति है, इसे स्पष्ट इंगित किया जाये। दर का औचित्य परियोजना द्वारा निर्धारित किया जाना आवश्यक है।
14. निविदा में कोई गणितीय त्रुटि या अन्य कोई त्रुटि दृष्टिगत हुई हो, तो उसका उल्लेख।
कारपोरेट निविदा समिति हेतु प्रस्तावों में टिप्पणी भेजते समय निम्न बिन्दुओं पर भी ध्यान दिया जाये :-


- निविदा प्रकरण भेजते समय कम से कम 45 दिन की वैधता होनी आवश्यक है तथा प्रकरण भेजने के पूर्व प्रशासनिक अनुमोदन का प्रकरण परियोजना द्वारा मुख्यालय से अवश्य निस्तारित करा लिया जाये। यदि प्रस्ताव में निगोसियेशन प्रस्तावित है, तो ऐसी स्थिति में निगोसियेशन के स्पष्ट बिन्दु कारण सहित इंगित किये जायें। भविष्य में कारपोरेट निविदा समिति को निविदा संस्तुति प्रस्ताव भेजे जायें तथा सभी आवश्यक अग्रिम एवं Comparative Statement तथा Q.R. सम्बन्धी Comparative Statement जो परियोजना पर तैयार किया गया है, उसकी प्रति अवश्य संलग्न की जाये।
- प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही सीटीसी हेतु प्रस्ताव मुख्यालय भेजा जाये।
- सीटीसी के अन्तर्गत भेजे जाने वाले सभी प्रस्तावों की Soft Copy को मुख्य अभियन्ता (पीपीएमएम), उनिलि. के Mail ID पर भेजे जाये (cgm.ppmm@uprvunil.org)।
- परियोजना से जो भी सम्बन्धित अधिकारी सीटीसी की मीटिंग में भाग लेने के लिये मुख्यालय आते हैं, वह अपने साथ प्रस्तावों की Soft Copy को Pen Drive/Laptop में लेकर आयें, जिससे कि सम्बन्धित प्रस्तावों में मुख्यालय स्तर पर किये जाने वाले Changes आसानी से किये जा सकें।
- आर. एण्ड एम./जानपद/ईंधन/ई. एण्ड एस. इकाई से सम्बन्धित प्रस्तावों को सम्बन्धित इकाईयों द्वारा परीक्षण के उपरान्त स्पष्ट संस्तुति के साथ प्रेषित किया जाये।
उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माना जायेगा तथा भविष्य में सभी कारपोरेट निविदा समिति प्रस्ताव उल्लिखित बिन्दुओं को संज्ञान में लेते हुये भेजे जायें।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक: 2584 /पीपीएमएम/मुख्यालय/सीटीसी/ तददिनांक: 18.06.2012

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उनिलि, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निदेशक (वित्त), उनिलि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3. सलाहकार (तकनीकी), उनिलि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
4. मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त), उनिलि, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)/(स्तर-2), अनपरा/ओबरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी तापीय परियोजना।
6. मुख्य अभियन्ता (तापीय परिचालन/आर एण्ड एम/जानपद/ईंधन/ई. एण्ड एस./मानव संसाधन इकाई), उनिलि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. कट फाइल।


(आर. के. कटियार)
मुख्य अभियन्ता (पीपीएमएम)